

2021
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला इशुवन (मज.)
 प्रशासन शाखी के रंग अभिमान डाक
 दिनांक - 12/12/2021

रिपोर्ट पढावारी हलम/प्रादेशिक/प्रादेशिक/प्रादेशिक
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिली अतः उपरोक्त
 परिवार रेशन कार्ड के आधार पर उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
 दर्ज है।
 श्री. ग. गौरीनाथ
 कार्यालय तहसीलदार/गुढागौडजी

क्रमांक - राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी मन्वीय उदयपुरवाटी को पत्रिका कर निकाल है कि आवेदन पत्र में वर्णित उदयपुरवाटी/गुढागौडजी का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। अधिकार का नाम उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को उचित है/गुढागौडजी की जाती है।

दिनांक -
 12/12/21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला इशुवन (मज.)
 - आदेश -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार (गुढागौडजी) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अभिनियम, 1956 की धारा 133 के अनुसूची में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गुढागौडजी) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को सहाय रिपोर्ट में अमल दरसमद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
01	भादीवाड	2075-78	189	सरजीतसिंह पुत्र श्रीराधे जाति-जह 1801/12	सरजीतसिंह पुत्र श्रीराधे जाति-जह 180-1/12

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 22-23
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

24/12/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक -

को सूचनाार्थ।
 24/12/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी